

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक शि0स0/15379-80

/2018-19

दिनांक 07-2-19

प्रबन्धक,

माउंट लिट्राजी स्कूल

बी0-8 लोनी इन्डस्ट्रियल नियर नरेन्द्र मोहन अस्पताल

गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 21-01-2019 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कार्यालय के पत्रांक मान्यता/140-42/2015-16 दिनांक 10-04-2015 द्वारा आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से 8 तक की अस्थायी मान्यता दिनांक 01-04-2015 से 31-3-2018 तक के लिये प्रदान की गई थी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 01-02-2019 के आधार पर शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(राजेश कुमार श्रीवास)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

/2018-19 तददिनांक

पृ0स0 शि0स0/

प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।